

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 10.08.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri Akhilesh Yadav** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **488** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	आदित्य वर्मा	श्री विजय वर्मा MOB- 9696899674	3	हीरापट्टी आजमगढ़
2	अमन यादव	श्री सुबाष यादव MOB- 8840274339	7	हीरापट्टी आजमगढ़
3	आदिल अहमद	श्री मकबूल अहमद MOB- 9648960912	8	हीरापट्टी आजमगढ़
4	अहमद हमदन	श्री तरवेज अहमद MOB- 9452343330	6	हीरापट्टी आजमगढ़
5	यशाली यादव	श्री शरद चन्द्र यादव MOB- 9453959051	1	हीरापट्टी आजमगढ़
6	हर्ष सिंह	श्री वलवन्त सिंह MOB- 6387862598	8	हीरापट्टी आजमगढ़
7	अरुण सिंह	श्री अरुण कुमार सिंह MOB- 7266068852	8	हीरापट्टी आजमगढ़
8	रिषभ सिंह	श्री राकेश सिंह MOB- 9473889360	9	हीरापट्टी आजमगढ़
9	सोनम यादव	श्री रामभवन यादव MOB- 9415653959	7	हीरापट्टी आजमगढ़
10	इषिता सिंह	श्री आशुतोष सिंह गर्गवशी MOB- 9415207752	1	हीरापट्टी आजमगढ़

क. म. उ.  
Gm

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।

  
(पल्लवी शर्मा)  
उपायुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Akhilesh Yadav माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, VARANASI संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)